

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) -सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(पंचायत शाखा)

आदेश

मैं अबुबक्कर सिद्दीख पी० (भा०प्र०से०) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के द्वारा सन्निहित शक्तियों का प्रयोग करते : त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2015 से संबंधित कार्य में प्रयोग करने हेतु निम्न भवन एवं परिसर को दिनांक 11.2015 से दिनांक 24.12.2015 की अवधि के लिए अधिगृहित करता हूँ।

अधिगृहित होने वाले संस्था का नाम	प्रयुक्त होने वाले कार्य
महिला कॉलेज, चाईबासा	बज्रगृह-सह-मतगणना स्थल, प्रशिक्षण स्थल
मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय, चकधरपुर	
राजकीय रस्सेल +2 उच्च विद्यालय, जगन्नाथपुर	

उपरोक्त अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व की अधिनियम की धारा-167 व अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। आवश्यकता आधारित समय में परिवर्तन संभव है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
-सह-
उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक :- 577 (1), दिनांक :- 15-10-15

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्राचार्य महिला कॉलेज, चाईबासा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
-सह-
उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।